में दर्ज प्राथियों का प्रतिशत प्राप्त नहीं है। ३१ अक्तूबर, १९५६ को दर्ज प्राथियों का प्रतिशत इस प्रकार है :—

	प्रतिशत
प्रविधिक कर्मचारी	८.२
क्लर्क	२९.८
शिक्षक	५.१
अकुशल कर्मचारी	४८.७

प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग लेना

१३९४. **श्री वि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने सम्बन्धी अध्ययन मंडल की, जिसने इंगलैंड और यूरोप का भ्रमण किया, रिपोर्ट पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : अध्ययन दल की रिपोर्ट पर पिछले भारतीय श्रम सम्मेलन ने विचार किया और यह सिफारिश की कि देश में योजना को अमल में लाने का काम दो साल तक नियोजकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाय। सम्मेलन ने योजना पर आगे विचार करने के लिये एक उप-समिति बनाने का भी सुझाव दिया था। इस उप समिति की बैठक ६ अगस्त, १९५७ को हुई जिसमें यह सुझाव दिया गया कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के लगभग ५० चुने हुये कारखानों इत्यादि पर इस योजना को परीक्षण के रूप में चलाया जाय।

श्रमिकों के परिवारों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें

१३९५. **श्री वि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोयला खदान क्षेत्रों में जो अस्पताल मजदूरों की चिकित्सा के लिये खोले गये हैं, उन में क्या मजदूरों के परिवारों को भी चिकित्सा की सुविधायें दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो परिवार के किन-किन सदस्यों की चिकित्सा की अनुमति है ; और

(ग) क्या श्रमिकों को इलाज के लिये कुछ देना पड़ता है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) स्त्री, जायज बच्चे और वे सौतेले बच्चे जो पूर्ण रूप से कामगरों के साथ रहते हैं और उन पर आश्रित हों। काम करने वाली स्त्री का पति, जो उसके साथ रहता हो और पूर्ण रूप से उस पर आश्रित हो, भी चिकित्सा सुविधा पाने का हकदार है।

(ग) ऐसे कामगरों के परिवार-सदस्य जिन्हें महीने में कुल मिला कर ३०० रुपये से ज्यादा वेतन नहीं मिलता, इन्डोर इलाज मुफ्त पाते हैं। आउटडोर इलाज सभी के लिये मुफ्त है।

कोयला खान श्रमिकों के लिये अस्पताल

१३९६. **श्री वि० प्र० सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोयला खान क्षेत्रों में जो अस्पताल मजदूरों की चिकित्सा के लिये खोले गये हैं क्या उनमें मजदूरों के अलावा अन्य व्यक्तियों का भी इलाज किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।